# अध्याय X : परमाणु ऊर्जा विभाग

## 10.1 ₹ 3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय

**क्रय प्रक्रिया का अनुपालन करने में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन क्रय एवं भण्डारण निदेशालय की विफलता तथा वैधता अवधि के भीतर क्रय प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में परिणामी विलम्ब का परिणाम ₹ 3.32 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।**

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 ने लागू किया कि उच्च मूल्य के क्रयों के मामले में दो स्तरों पर, बोलियाँ, मूल्यांकित किए जाने से तकनीकी बोली तथा इसके पश्चात वित्तीय बोली प्राप्त की जानी चाहिए। परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि.) की वित्तीय नियमावली, 1978 के प्रयोग के अनुसार, ₹ तीन करोड़ से अधिक के वित्तीय व्यय की सीमित निविदाओं वाले मामलों को सदस्य (वित्त), प.ऊ.वि. की सहमति हेतु भेजा जाना अपेक्षित है। द्वि.-भागी निविदाओं को संसाधन हेतु क्रय एवं भण्डारण निदेशालय (क्र.भ.नि.), प.ऊ.वि. की केन्द्रीकृत क्रय इकाई, द्वारा निर्धारित समय सीमाएं (2005) उल्लेख करती है कि सदस्य (वित्त) की स्वीकृति हेतु प्रस्तावों की मांगों को प्रस्तुत करने की तिथि से छः महीनों के भीतर भेजा जाना चाहिए।

क्र.भ.वि. ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लाईट वाटर डिविजन से जून 2007 में एक डिस्चार्ज असेम्बली ट्रांसफर कास्क[1] के उत्पादन हेतु प्रस्तुत माँग प्राप्त की। इसने 24 सितम्बर 2007 को निविदाओं की अंतिम तिथि के साथ ₹ 13 करोड़ की अनुमानित लागत पर उपकरणों सहित उत्पादन, सामग्री प्रापण, फेबरिकेशन मोकअप, डिस्चार्च असेम्बली ट्रांस्फर कास्क के जाँच निरीक्षण तथा सुरक्षित सूपुर्दगी हेतु तीन फर्मों से सीमित निवदाएं आंमत्रित की (अगस्त 2007)।

निविदा दस्तावेज में शामिल एक क्रय अधिमान धारा[2], जिसके अनुसार निविदा में भाग लेने वाले एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (के.सा.क्षे.उ.) अन्य भाग लेने वाली निजी क्षेत्र फर्मों से अधिक क्रय अधिमान प्राप्त करेगा, ने प्रावधान किया (i) इसका प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त था, (ii) इसके द्वारा उद्धृत मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव का अंतर 10 प्रतिशत के भीतर था तथा (iii) के.सा.क्षे.उ. न्यूनतम उद्धृत मूल्य की बराबरी करने हेतु इच्छुक था। सार्वजनिक उद्यम विभाग की मूल्य अधिमान नीति (मू.अ.नि.) केवल 31 मार्च 2008 तक वैध थी।

---

[1] ट्रांस्फर कास्क खर्च किए ईंधन को खर्च ईंधन भण्डारण पूल में अंतरित करने हेतु आवश्यक है।

[2] यह धारा सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार, द्वारा निर्धारित क्रय अधिमान नीति पर आधारित थी। यह नीति 31 मार्च 2008 के बाद समाप्त कर दी गई थी।

क्र.भ.वि. ने मेसर्स गोडरेज एण्ड बॉयसे, मुंबई (गोडरेज) तथा केन्द्रीय उत्पादन प्रौद्योगिकी संस्थान (को.उ.प्रौ.सं.), बैंगलोर से प्रस्ताव प्राप्त किए। 25 सितम्बर 2007 को तकनीकी बोलियाँ खोले जाने पर दो बोलीकर्ताओं को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया था। मूल्य बोलियों को 30 नवम्बर 2007 को खोला गया था। गोडरेज ने ₹ 11.35 करोड़[3] का आधार मूल्य उद्धृत किया जबकि के.उ.प्रो.सं. ने ₹ 12.18 करोड़[4] उद्धृत किया। मांगकर्ता प्रभाग ने के.उ.प्रो.सं. को आदेश देने हेतु अपनी सिफारिश व्यक्त की (28 दिसम्बर 2007)। उपयुक्त मोल भाव के पश्चात, के.उ.प्रौं.सं. ₹ 12.77 करोड़ (कर पश्चात) पर गोडरेज के मूल्य के साथ अपने मूल्यों की बराबरी करने हेतु सहमत हुआ (जनवरी 2008)। भण्डार क्रय समिति (भ.क्र.स.) ने 30 जनवरी 2008 को क्रय हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया।

लेखापरीक्षा में संवीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट कियाः

(i) मूल्य बोलियों को खोलने के पश्चात गोडरेज न्यूनतम बोलीकर्ता था। तथापि, बोलियों को खोलने के बाद के.उ.प्रौं.सं. ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 5 दिसंबर 2007 सहित 6 दिसंबर 2007 को एक पत्र प्रस्तुत किया कि मूल्य अधिमान के संबंध में फर्म को के.सा.क्षे.उ. के बराबर माना जाए। यह नोट किया जाना है कि के.उ.प्रौ.सं. एक पंजीकृत समिति थी तथा न की एक के.सा.क्षे.उ. तथा इसलिए क्रय अधिमान धारा में शामिल नहीं थी। इसलिए के.उ.प्रौ.सं., जो कि एक के.सा.क्षे.उ. नहीं था, के प्रस्ताव को स्वीकार करने का प.ऊ.वि. का निर्णय अनियमित था।

(ii) मूल्य बोलियों के खोले जाने पर गोडरेज न्यूनतम तथा एक मात्र योग्य बोलीकर्ता होने के बावजूद क्र.भ.नि. ने मूल्य अधिमान के संबंध में के.उ.प्रौ.सं. को के.सा.क्षे.उ. के बराबर बनाने हेतु मंत्रालय का प्रमाणपत्र स्वीकार किया जबकि यह प्रमाणपत्र 30 नवम्बर 2007 को मूल्य बोली के खोले जाने के पश्चात प्राप्त हुआ था।

(iii) चूंकि इस मामले का सीमित निविदा पर संसाधन किया जा रहा तथा ₹ तीन करोड़ से अधिक का वित्तीय व्यय था इसलिए शेष सदस्य (वित्त), प.ऊ.वि. की स्वीकृति की आवश्यकता थी। यद्यपि प.ऊ.वि. के अनुदेश ने ऐसे क्रय मामलों के संसाधन हेतु छः महीनों की समय सीमा निर्धारित की थी फिर भी यह पाया गया था कि हाल के मामलों में प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु केवल 21 अप्रैल

[3] ₹ 12.77 करोड़ का कर पश्चात मूल्य
[4] ₹ 13.70 करोड़ का कर पश्चात मूल्य

2008, अर्थात् माँग प्रस्तुत करने के 10 महीनों पश्चात, में जाकर ही सदस्य (वित्त) प.उ.वि. को भेजा गया था। सचिव, प.ऊ.वि. ने इस आधार पर कि मू.अ.नी. की वैधता समाप्त थी, 29 जुलाई 2008 को प्रस्ताव को अस्वीकार किया तथा क्र.भ.नि. को नई सीमित निविदा जारी करने का निर्देश दिया।

(iv) यह पाया गया था कि क्र.भ.नि. में ही प्रस्ताव की जाँच करने में पर्याप्त विलम्ब थे। ऐसे मामलों के संसाधन हेतु छः महीनों की निर्धारित समय सीमा के प्रति क्र.भ.नि. ने तीन फर्मों को सीमित निविदा जाँच पड़ताल जारी करने हेतु दो महीने तथा तकनीकी रूप से बोली को स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त तीन महीने लिए। इसके पश्चात स्तरों में वित्तीय बोलियों को खोला जाना एवं जॉच तथा वर्तमान मामले में इसे सदस्य (वित्त), प.ऊ.वि. को उसकी स्वीकृति हेतु भेजना शामिल था।

(v) क्र.भ.बि. ने फिर से उन्हीं तीनों फर्मों से अगस्त 2008 में निविदाएं आंमत्रित की। तथापि, केवल गोडरेज ने निविदा नोटिस का उत्तर दिया तथा ₹ 15.80 करोड़[5] का आधार मूल्य उद्धृत किया। क्र.भ.नि. ने मूल्य का मोल भाव किया तथा फरवरी 2009 में ₹ 16.09 करोड़ (कर पश्चात) पर फर्म को क्रय आदेश दिया था। गोडरेज ने इस आदेश हेतु अंतिम भुगतान दिसम्बर 2010 में प्राप्त किया।

वर्तमान मामलों में प.ऊवि. द्वारा अपनाएं प्रापण अभ्यास ने निविदा मूल्यांकन में त्रूटियां, जैसे कि एक ऐसे सत्व का प्रस्ताव करना जो मूल्य मूल्यांकन स्तर पर मूल्य अधिमान लाभ हेतु विचार करने योग्य नहीं था, प्रकट की। इसके अतिरिक्त, क्रय मामले के संसाधन में विभिन्न स्तरों पर लम्बे विलम्ब थे जो अस्वीकरण तथा पुनः निविदा करने का कारण बने जिनका अंत में परिणाम ₹ 3.32 करोड़ के अतिरिक्त व्यय में हुआ।

प.ऊ.वि. ने उत्तर दिया (मई 2012) कि प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के पश्चात किसी भी कम्पनी हेतु योग्य प्रक्रिया प्रचलन में क्रय मूल्य प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि, जो इस मामले में 25 सितम्बर 2007 थी, को कम्पनी/ इसके प्रस्ताव की स्थिति पर आधारित है। इसलिए, क्र.भ.नि. को बोध था कि इस क्रय फाईल में मू.अ.नी. मेसर्स के.उ.प्रौ.सं. को लागू होगी। मैसर्स के.उ.प्रौ.सं., बैंगलोर के प्रस्ताव को 31 जुलाई 2008 तक वैध रखा गया था।

[5] ₹ 17.78 करोड़ का कर पश्चात मूल्य

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्र.भ.नि. ने तथ्य को अनदेखा किया था कि फर्म 30 नवम्बर 2007 को वित्तीय बोली के खोले जाने की तिथि को मूल्य अधिमान लाभ हेतु योग्य नहीं थी क्योंकि मूल्य अधिमान के संबंध में इसे के.सा.क्षे.उ. के बराबर माने जाने हेतु योग्यता प्रमाणपत्र इसे केवल 5 दिसम्बर 2007 में जाकर ही जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, अगर फिर भी हम यह विचार करें कि प.उ.वि. इस तथ्य से अवगत नहीं था कि मूल्य अधिमान का लाभ 31 मार्च 2008 को समाप्त हो जाएगा तो भी के.उ.प्रौ.सं.; जो एक के.सा.क्षे.उ. नहीं था, का प्रस्ताव स्वीकृत करने का प.उ.वि. का निर्णय अनियमित था।

इस प्रकार, प्रथम दृष्टांत में न्यूनतम वैध बोलीकर्ता को क्रय आदेश देने में विफल होने से प.ऊ.वि. ने न केवल पूर्ण प्रापण प्रक्रिया को विलम्ब किया बल्कि ₹ 3.32 करोड़ का अतिरक्त व्यय भी किया।